

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक 3(12)पपा/2015

जयपुर, दिनांक 25.4.2017

आज्ञा

राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत गठित रिज्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पशु पालन सेवा के निम्नांकित पशु चिकित्सा अधिकारियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर सहायक निदेशक/वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के पद पर (वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 6000/- में) पदोन्नत किया जाता है:-


क्र.सं.	अधिकारी का नाम	वर्ग	वर्ष
1.	डा. देशराज बिलोची (स्वैच्छिक सेवा निवृत्त)	सामान्य	2012-13
2.	डा. भवानी शंकर सिसोदिया	अनु.जाति	2012-13
3.	डा. चन्द्रशेखर पाण्डुरंग बडगुजर	सामान्य	2013-14

उपरोक्त पदोन्नति एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11308/2015, डॉ० गोविन्द राम चौहान बनाम राज्य व अन्य तथा एस.बी.सिविल याचिका संख्या 18692/2012 डॉ० रामप्रकाश नायक बनाम सरकार एवं याचिका संख्या 15056/2016 डॉ० रेणु गोयल बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

डा. बिलोची का वर्ष 2012-13 की चयन सूची की क्र.सं. 214 पर अकिंत डॉ. रामकृष्ण बोहरा के नीचे एवं क्र.सं. 215 पर अकिंत डॉ. महेन्द्र कुमार शर्मा के नाम के उपर, डा. सिसोदिया का वर्ष 2012-13 की चयन सूची की क्र.सं. 415 पर अकिंत डॉ. नन्द किशोर बडगुजर के नीचे एवं क्र.सं. 416 पर अकिंत डॉ. लक्ष्मण सिंह बागोदिया के नाम के उपर एवं डा. चन्द्रशेखर पाण्डुरंग बडगुजर का नाम वर्ष 2013-14 की चयन सूची की क्र.सं. 49 पर अकिंत डॉ. कल्याणकर नाना साहेब के नीचे एवं क्र.सं. 50 पर अकिंत डॉ. मठपति रघुनाथ मल्लिकार्जुन के नाम के उपर प्रतिस्थापन किया जाता है।

क्र.सं. 2 एवं 3 पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(एन.एल.गुप्ता)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन, मत्स्य, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग राजस्थान, जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
6. संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, राज., जयपुर
7. निजी/रक्षित पंजिका।



शासन उप सचिव